TEN RUPEES FIVE RUPEES

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ पुनरीक्षण.

R 1670 - II /2006

अर्जुनसिंह पुत्र श्री मातादीनसिंह, आयु ५७ वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम नाहरपुर, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म०प्र०)
--- आवेदक.

श्री .... एडवोकेट द्वारा आज दि० 12-9-06 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बनाम.

१) महेशसिंह पुत्र देवीदयालसिंह उर्फ शेरसिंह, निवासी ग्राम नाहरपुर, जिला छतरपुर
२) नत्थू पुत्र राजा पटेल, निवासी ग्राम उदयपुर, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर
३) सियाशरण पुत्र राजा पटेल, निवासी ग्राम उदयपुर तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर
४) देवीदयाल उर्फ शेरसिंह पुत्र जोहरीसिंह, निवासी ग्राम नाहरपुर, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म०प्र०)
५) म०प्र० शासन ---- अनावेदकगण.

12/9/06
S. P. Dubey

12/9/06

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ बनाराजी आदेश दिनांक १-८-०६ बइजलाश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर (म०प्र०) प्रकरण क्रमांक ४२८/बी-१२१/ २००४-०५ बउनवान महेश आदि बनाम अर्जुनसिंह में पारित आदेश से दु:खी होकर यह पुनरीक्षण श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1670–दो/2006 जिला छतरपुर

अर्जुन सिंह विरूद्ध महेश सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06–03–19	आवेदक अभिभाषक श्री ए0के0 अग्रवाल द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 428/बी–121/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 01–8–2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो एवं अभिभाषक का अवलोकन किया। इस प्रकरण में नायब तहसीलदार मौजा उदयपुर ने शासकीय भूमि खसरा कमांक 605, 606 तथा 356, 357, 358, 603 के पट्टे वर्ष 1973–74 में अनावेदक कमांक 1 व अनावेदक 4 को प्रदान किये गये। अनावेदक कमांक 1 वं 4 ने अनावेदक कमांक 2 व 4 को उक्त भूमि दिनांक 7–6–1995 को विकय कर दी। अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी के समक्ष आवेदक ने शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13–12–2001 को यह निष्कर्ष निकालते हुये कि बिना विकय अनुमति के प्रश्नाधीन भूमि का विकय किया है इसलिए जारी पट्टा निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7)(ख) के अन्तर्गत बिना कलेक्टर की अनुमति के किया गया विकय वैध नहीं माना जा सकता। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने पट्टा निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज की है। अनुविभागीय	

अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा स्थिर रखा गया है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने अनावेदकगण की अपील को इस आधार पर स्वीकार की है कि विकय के पश्चात भूमि का नामांतरण हो चुका था इसलिए कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि बिना कलेक्टर के अनुमति के पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि का विकय नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधि अनुकूल नहीं होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 01–8–2006 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी लोड़ी का आदेश दिनांक 13–12–2001 एवं अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 28–2–2005 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति के साथ अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 6/3/19
सदस्य